फ़ैक्ट शीट (तथ्य पत्र) 4 - "टोटल फ़ायर बैन्स "

संशोधित 01/10/2009

NSW RURAL FIRE SERVICE

तैयारी करें. कार्यवाही करें. जीवित बचें.

तथ्य: आग द्वारा जीवन, संपति और पर्यावरण के नुकसान या बरबादी के जोखिम को कम करने के लिये, न्यू साऊथ वेल्स आर. एफ़. एस. कमीश्नर अधिक संकट वाले दिनों के लिए "टोटल फ़ायर बैन्स" (संपूर्ण अग्नि प्रतिबंध) की घोषणा कर सकते हैं। यह फ़ैसला "ब्यूरो औफ़ मीटियौरोलोजी" (मौसम ब्यूरो) से वायु तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता, वायु वेग और सूखेपन के मेलजोल के बारे में मिली सलाह पर आधारित होता है।

"बुशफ़ायर डेन्जर पीरियड" (खतरनाक अवधि) के दौरान "टोटल फ़ायर बैन" जारी करने का फ़ैसला आमतौर पर दोपहर 5 बजे किया जाता है। यह "टोटल फ़ायर बैन" सामान्यत: अगले दिन के लिये लागू होता है और मध्यरात्रि से शुरू होकर 24 घंटे के लिये होता है।

"टोटल फ़ायर बैन" के दौरान नियम

- खुले स्थानों में किसी भी प्रकार की आग नही जलाई जा सकती है और इसमें "इनसिनिरेटर"(भट्टियाँ) और बारबेक्यू शामिल हैं
- सभी "फ़ायर परमिट" (अग्नि अनुमति-पत्र) तुरन्त स्थगित हो जाते हैं।

आप गैस या विधुत बारबेक्यू उपयोग कर सकते हैं, पर केवल तभी जब:

- वह आपके निवास स्थल में घर से 20 मीटर के कम की दूरी पर हो, **या**
- वह "काउंसिल", "नेशनल पार्क्स" या "फ़ौरेस्ट्स न्यू साऊथ वेल्स" द्वारा प्रबंधित पिकनिक-स्थान के अंदर स्थायी रूप से स्थापित हो

और साथ ही

- वह एक जिम्मेदार बालिग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो
- बारबेक्यू के इर्दगिर्द दो मीटर का इलाका साफ़ हो
- आपके पास पानी की तात्कालिक और लगातार आपूर्ति हो

यह कैसे पता करें कि "टोटल फ़ायर बैन्स" घोषित हो गये हैं

"न्यू साऊथ वेल्स फ़ायर एरियाज़" (अग्नि क्षेत्रों), जो एक जैसे मौसम, भूभाग और प्रबंधन मसलों वाले "लोकल गवर्नमेंट एरियाज़" (स्थानीय सरकारी क्षेत्रों को अलग-अलग वर्ग में गठित करते हैं, के अनुरूप ही "टोटल फ़ायर बैन्स" घोषित किये जाते हैं। यह जानने के लिये कि "टोटल फ़ायर बैन" लागू है, आप

- आर.एफ.एस. या बी.ओ.एम. वेबसाईट www.rfs.nsw.gov.au या www.bom.gov.au पर चैक कर सकते हैं
- आर.एफ.एस. इन्फ़ोर्मेशन लाईन को १८०० ६७९ ७३७ पर फ़ोन करके
- रेडियो, टेलिविज़न और अखबारों मे मौसम रिपोर्ट जांच सकते हैं
- अपने स्थानीय फ़ायर स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं

जुर्माना तथा दंड

- "टोटल फ़ायर बैन" के दिन आग जलाने पर 5,500 डालर और/या 12 महीनों का कारावास
- "टोटल फ़ायर बैन" के दिन आग, ऐसी आग जलाने के लिये जो नियंत्रित नही हो पाने के कारण जीवन, संपति या पर्यावरण का का नुकसान या बरबादी करे, 110,000 डालर और/या 14 वर्षों का कारावास

न्यू साऊथ वेल्स आर. एफ़. एस. कमीश्नर कुछ गतिविधियों, जैसे आधारभूत संरचना कार्यों या आनुष्ठानिक अग्नियों, के लिये "टोटल फ़ायर बैन" में छूट प्रदान कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें: अपने स्थानीय "फ़ायर कन्ट्रोल सेन्टर" (अग्नि नियंत्रण केन्द्र) या

000 EMERGENCY

NSW RFS INFORMATION LINE
1800 NSWRFS
1 8 0 0 6 7 9 7 3 7

www.rfs.nsw.gov.au

www.fire.nsw.gov.au ◈ www.esa.act.gov.au

A FIREWISE INITIATIVE

106 TEXT EMERGENCY CALL